महत्वपूर्ण

संख्या-436/सैतीस-2-2017-1(32)/2015टी0सी0-III

022
G.I. 21-4-17

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषयः-पशुपालन विभाग की बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित वाहनों को अन्यत्र उपयोग न किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत है कि पशुपालकों को पशुचिकित्सा सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक बीमारी/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बॉझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा उसका फालोअप, मेडिको-लीगल केसेज के साथ-साथ कामधेनु योजना तथा कुक्कुट विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 से बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें-योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड के पशु चिकित्साधिकारी को एक पशु चिकित्सा वाहन उपलबध कराया गया है।

2- शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा पशुचिकित्सा सेवा से सम्बन्धित वाहनों को अन्य कार्यों यथा परीक्षा कार्यों एवं कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य कार्यों हेतु अधिगृहीत/ले लिया जाता है, जिससे पशुचिकित्सा सेवायें गम्भीर रूप से प्रभावित होती हैं।

3- इस प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह उल्लेख करना है कि बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवा योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराये गये उक्त पशुचिकित्सा वाहन के माध्यम से तत्काल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। साथ ही खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत समयबद्धरूप से वर्ष में छः माह के अन्तराल पर 45-दिवसीय एफ.एम.डी.-टीकाकरण अभियान एवं एच. एस. तथा पी.पी.आर. आदि सामयिक टीकाकरण कार्य के क्रियान्वयन में इन वाहनों का सतत उपयोग किया जाता है। सन्दर्भित वाहनों में तरल नाइट्रोजन कन्टेनर फिक्स किये गये हैं, जिसमें तरल नत्रजन (-)196 डिग्री सेन्टीग्रेड तापक्रम पर रखी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य औषधियों, वैक्सीन तथा सीरम सैम्पुल आदि भी होते हैं। इस प्रकार यह बहुउद्देशीय सचल वाहन सोफिस्टीकेटेड पशु चिकित्सा उपकरणों एवं औषधियों से सुसज्जित विशिष्ट वाहन है।

4- योजना की गाइड लाइन्स में यह व्यवस्था है कि इन वाहनों का उपयोग योजना से इतर अन्य सामान्य/विविध कार्यो हेतु किसी भी दशा में न किया जाय। वर्तमान में प्रदेश में दिनांक 15 मार्च, 2017 से खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत एफ.एम.डी. टीकाकरण अभियान विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें पशु चिकित्साधिकारी अन्य स्टाफ द्वारा पशुपालकों के घर-घर जाकर शतप्रतिशत टीकाकरण किया जा रहा है। सचल पशु चिकित्सा वाहनों का अन्यत्र उपयोग होने के कारण उक्त योजना कुप्रभावित हो रही है, साथ ही योजनान्तर्गत सम्पन्न होने वाले अन्य कार्य भी सम्पादित नहीं हो पा रहे हैं ।

5- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बहुउद्देशीय पशुचिकित्सा सेवा के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर पशुचिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराये गये पशुचिकित्सा वाहनों को योजना से इतर अन्य प्रयोजनों/कार्यो हेतु कदापि अधिगृहीत न किया जाये ।

6- इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय

/

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव ।

संख्या-436(1)/सैतीस-2-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
3- समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2 (सम्बन्धित मण्डल) पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- गार्ड फाईल ।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।